GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO:- 398
ANSWERED ON-02/02/2026

Old Pension Scheme

†398. **Shri Ramashankar Vidharthi Rajbhar:**

Will the Minister of **EDUCATION** be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to restore the old pension schemes for teachers at the centre and in the States/UTs, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(b) the details of the main reasons for pending appointments of teachers, stalled joining of teachers and selected candidates not getting appointment despite advertised post in various States/UTs; and

(c) the current status of recruitment of 69,000 assistant teachers in Uttar Pradesh along with the number of candidates appointed so far and the number of cases pending in court or the department?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SHRI JAYANT CHAUDHARY)

(a) to (c): Education being a subject in the Concurrent List of the Constitution, an overwhelming majority of schools in the country are under the administrative control of the respective State Governments and Union Territory Administrations. Accordingly, matters relating to recruitment, service conditions, including pensionary benefits, deployment of teachers, and court cases arising therefrom fall primarily within the administrative domain of the concerned State Governments/UT Administrations. Therefore, issues relating to pending appointments of teachers, delayed joining of teachers, and non-appointment of selected candidates against advertised posts in various States/UTs are dealt with by the respective State Governments/UT Administrations.

The Government of India periodically advises the States/UTs to fill up vacant posts of teachers and to ensure timely recruitment through transparent and merit-based processes, including recruitment through autonomous teacher recruitment boards or similar bodies. The progress relating to filling up of teacher vacancies through competitive selection examinations conducted by the States/UTs, with due regard to consistency, sanctity and after undertaking technology-based comprehensive teacher requirement planning and forecasting exercises, is reviewed periodically through regular meetings with States/UTs as well as through advisories.

Further, under the Centrally Sponsored Scheme of Samagra Shiksha, the Central Government provides financial assistance to States/UTs for maintaining appropriate Pupil–Teacher Ratios

<:::www.govtstaff.com:::>

(PTR) and for teacher-related interventions, including in-service training, teacher capacity building, and institutional academic support through SCERTs, DIETs, BRCs and CRCs.

The Department also supports States/UTs in the adoption of ICT platforms such as DIKSHA and PM e-VIDYA, and in strengthening cluster-level academic support through BRCs and CRCs, to provide on-demand resources and pedagogical support to teachers and to mitigate, to the extent possible, the academic impact arising from staff shortages.

The pensionary benefits of employees of the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), which functions under the Central Government, are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time, in respect of employees who joined KVS service up to 31.12.2003. Employees who joined the Kendriya Vidyalaya Sangathan on or after 01.01.2004 are covered under the National Pension System (NPS).

In respect of the Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS), employees who joined service prior to 01.01.2004 are governed by the Contributory Provident Fund (CPF) scheme. Employees who joined the Navodaya Vidyalaya Samiti on or after 01.04.2009 are mandatorily covered under the New Pension Scheme (NPS). Employees who joined between 01.01.2004 and 01.04.2009 were provided a one-time option to choose between the CPF and NPS schemes. While a few employees opted for the NPS, the majority exercised the option for the CPF scheme. At present, employees of the Navodaya Vidyalaya Samiti are covered either under the Contributory Provident Fund (CPF) scheme or the New Pension Scheme (NPS), as applicable.

The Government of Uttar Pradesh has informed that, in respect of the recruitment of 69,000 Assistant Teachers, a Special Leave Petition (Diary No. 38554/2024) titled Ravi Kumar Saxena & Others vs. State of Uttar Pradesh & Others has been filed before the Hon'ble Supreme Court against the order dated 13.08.2024 passed in Special Appeal No. 172/2023 (Mahendra Pal & Others vs. State of Uttar Pradesh & Others) and other connected special appeals, which arose out of the order dated 13.03.2023 passed in Writ Petition No. 13156/2020 (Mahendra Pal & Others vs. State of Uttar Pradesh & Others) and other connected petitions before the Hon'ble Allahabad High Court, Lucknow Bench.

*****

<:::www.govtstaff.com:::>

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-398

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

पुरानी पेंशन योजना

398. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शिक्षकों की लंबित नियुक्तियों, शिक्षकों की ज्वाइनिंग में रुकावट तथा विज्ञापित पद के बावजूद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति न मिलने के मुख्य कारणों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है तथा न्यायालय या विभाग में लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार, भर्ती, सेवा शर्तों सहित पेंशन संबंधी लाभ, शिक्षकों की तैनाती और उनसे उत्पन्न होने वाले न्यायिक मामलों से संबंधित मामले मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की लंबित नियुक्तियों, शिक्षकों के विलंबित नियुक्ति और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विज्ञापित पदों के खिलाफ चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने से संबंधित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा निपटाया जाता है।

भारत सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से समय पर भर्ती सुनिश्चित करने की सलाह देती है, जिसमें स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों या इसी तरह के निकायों के माध्यम से

<:::www.govtstaff.com:::>

भर्ती भी शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने से संबंधित प्रगति, निरंतरता, शुचिता और प्रौद्योगिकी-आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान अभ्यास करने के बाद, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों के साथ-साथ परामर्शों के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने और शिक्षक से संबंधित पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षक क्षमता निर्माण और संस्थागत शैक्षणिक सहायता शामिल है।

विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसे आईसीटी प्लेटफॉर्म को अपनाने में भी सहायता करता है तथा बीआरसी और सीआरसी के माध्यम से क्लस्टर-स्तरीय शैक्षणिक समर्थन को मजबूत करने में भी सहायता करता है, ताकि शिक्षकों को मांग पर संसाधन और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा सके और कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न होने वाले शैक्षणिक प्रभाव को कम किया जा सके।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभ, जो केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार अभिशासित होते हैं, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, उन कर्मचारियों के संबंध में जो दिनांक 31.12.2003 तक केविसं सेवा में शामिल हुए थे। जो कर्मचारी दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शामिल हुए हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के संबंध में, दिनांक 01.01.2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना द्वारा अभिशासित होते हैं। दिनांक 01.04.2009 को या उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति में शामिल होने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए जाते हैं। दिनांक 01.01.2004 और दिनांक 01.04.2009 के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों को सीपीएफ और एनपीएस योजनाओं के बीच चयन करने का एकमुश्त विकल्प प्रदान किया गया था। जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस का विकल्प चुना, अधिकांश ने सीपीएफ योजना का विकल्प चुना। वर्तमान में, नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी या तो अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना या नई पेंशन योजना (एनपीएस), जैसा भी लागू हो, के तहत कवर किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, रवि कुमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के विशेष अवकाश याचिका (डायरी संख्या 38554/2024) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील संख्या 172/2023 (महेंद्र पाल

<:::www.govtstaff.com:::>

और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और अन्य संबंधित विशेष अपीलों के विरुद्ध दायर की गई है, जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के समक्ष रिट याचिका संख्या 13156/2020 (महेंद्र पाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और अन्य संबंधित याचिकाओं में पारित दिनांक 13.03.2023 के आदेश से उत्पन्न हुई है।

*****

<:::www.govtstaff.com:::>